



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27052025-263389
CG-MH-E-27052025-263389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2261]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2025/ ज्येष्ठ 3, 1947

No. 2261]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2025/ JYAISTHA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2315(अ).—केंद्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 1 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1523, 27 मार्च, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को "महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला के तहसील पुणे शहर के गांव मुंढवा मे गती शक्ति युनिट के अंतर्गत हडपसर रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण" की विशेष रेल पारियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् दैनिक दायित्व को प्रकाशित किया गया है।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 20इ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

“महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में गती शक्ति युनिट के अंतर्गत हडपसर रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके भूमि का संक्षिप्त विवरण:

गांव - मुंडवा			जिला - पुणे		राज्य - महाराष्ट्र	
क्र. सं.	गांव का नाम	धारक का नाम	सर्वे नंबर/ गट संख्या	भूधारणा पद्धति	7/12 समानुपात कुल क्षेत्र	अधिग्रहण क्षेत्र (चौ. मी.)
1.	मुंडवा	ज्ञानोबा गुलाबराव लोणकर व इतर	63/2ब	1	0.65 हे. आर./ 6500 (चौ. मी.)	206.22
कुल क्षेत्र					6500 (चौ. मी.)	206.22 (चौ. मी.)

[फा. सं. G197/PA/GSU/HDP Satellite terminus/May/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th May, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act, 2008

S.O. 2315(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Central Railway) number S.O. 1523, dated the 27th March, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, Sub-section (ii), dated 1st April 2025 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “**Hadapsar station-Development of satellite terminal in village Mundhava, Taluka Pune city, District Pune**” in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, under sub-section(4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its reports to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Hadapsar Station – Development of Satellite Terminal”, in Village Mundhava, Taluka Pune city, District Pune in the state of Maharashtra.

Village – Mundhava

District – Pune

State - Maharashtra

Sl. No.	Name of Village	Name of Land Owner	Survey No./ Gut No.	Land Holding Method	Total Area as Per 7/12	Acquisition Area (Sq. Mtr.)
1	Mundhava, Tal - Pune City	Dnyanoba Gulabrao Lonkar and other	63/2B	1	0.65 (H.A.)\ 6500 (Sq. mtr.)	206.22
Total					6500 (Sq. Mtr.)	206.22 (Sq. Mtr.)

[F. No. G197/ PA/GSU/HDP Satellite terminus/May/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)